



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-30012021-224786

CG-DL-W-30012021-224786

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 30—फरवरी 5, 2021 (माघ 10, 1942)

No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 30—FEBRUARY 5, 2021 (MAGHA 10, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली—110004, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

सं. ए-34011/3/16—प्रशा.—श्री जे. जी. सुब्रमण्यन, 'राष्ट्रपति के उप सचिव', 29.12.2020 के कार्यालय आदेश द्वारा दिनांक 01.01.2021 के पूर्वाह्न से 'राष्ट्रपति के निदेशक' नियुक्त किए गए हैं।

शिवेंद्र चतुर्वेदी, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2021

सं. आई-18012/01/2021—आईपीएस-1—भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3—क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति बिहार संवर्ग को आवंटित भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को, प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं:—

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व श्री/सुश्री)	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किए जाने की तिथि
1	आमिर जावेद (च0सूची-2016)	26.12.2019
2	अशोक कुमार सिंह (च0सूची-2016)	26.12.2019
3	संजय कुमार सिंह (च0सूची-2016)	26.12.2019
4	राजीव रंजन नं.1 (च0सूची-2016)	26.12.2019
5	राकेश कुमार सिन्हा (च0सूची-2016)	26.12.2019

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व श्री/सुश्री)	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किए जाने की तिथि
6	नीरज कुमार सिंह (च0सूची-2017)	26.12.2019
7	सुशांत कुमार सरोज (च0सूची-2017)	26.12.2019
8	राजीव रंजन नं.2 (च0सूची-2017)	26.12.2019
9	रमन कुमार चौधरी (च0सूची-2017)	26.12.2019
10	शैलेश कुमार सिन्हा (च0सूची-2017)	26.12.2019
11	सत्यनारायण कुमार (च0सूची-2017)	26.12.2019
12	सुशील कुमार (च0सूची-2017)	26.12.2019
13	विजय प्रसाद (च0सूची-2017)	26.12.2019
14	दिलनवाज अहमद (च0सूची-2017)	26.12.2019

ए. के. सरन, निदेशक (पुलिस)

दिनांक 20 जनवरी 2021

सं. आई-18012/06/2020-आईपीएस-1—भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति मध्य प्रदेश संवर्ग को आवंटित भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्य को, उनके के सामने दर्शाई गई तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं:—

अधिकारियों के नाम (सर्व श्री/सुश्री)	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किए जाने की तारीख
ओम प्रकाश त्रिपाठी (च0सूची-2014)	23.09.2016

ए. के. सरन, निदेशक (पुलिस)

दिनांक 21 जनवरी 2021

सं. I-18011/01/2021-आई0पी0एस0-4—भारत के राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थाई करते हैं :—

क्र० सं०	परिवीक्षाधीन भा0पु0से0 अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री लव कुमार, भा0पु0से0 (उ0प्र०: 2004)	06.09.2006
2.	श्री सतीश कुमार, भा0पु0से0 (उ0प्र०: 2013)	03.09.2017

ए.के. सरन, निदेशक (पुलिस)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 दिसम्बर 2020

सं. 14016/02/2019-यूटीएस.॥—इस मंत्रालय के दिनांक 22.10.2019 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक परिवर्तन करते हुए, अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय, श्री दिनेश कुमार, निरीक्षक (कार्यकारी) को पे लेवल मैट्रिक्स - 08 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली पुलिस सेवा (दानिप्स) के एन्ट्री ग्रेड में रिक्ति वर्ष 2019 में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर तत्काल प्रभाव से और दिनांक 22.10.2019 से नोशनल आधार पर नियुक्त करते हैं। श्री दिनेश कुमार का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	रैंज नं.	जन्म तिथि
1क.	दिनेश कुमार पीआईएस: 16880095 डीओई: 05.04.1988 डीओपी: 05.06.2006 श्रेणी: अनुसूचित जाति (एससी)	डी-1/258	22.05.1962

2. ऐसी नियुक्ति होने पर, उनका नाम गृह मंत्रालय की दिनांक 22.10.2019 की समसंख्यक अधिसूचना में क्रम सं. 1क अर्थात् अपने ठीक कनिष्ठ, श्री रमेश कुमार नारंग (क्रम सं. 1) के ऊपर होगा।

3. उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति, माननीय कैट में लंबित ओए संख्या 440/2019 तथा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित अपील (सिविल) सं. 28306/2017 की एसएलपी से संबंधित एसएलपी (सिविल) सं. 31288/2017 के परिणाम के अध्यधीन होगी।

गौतम पालित, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
(प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2021

सं. ए.19013/01/2000-प्रशा.-I (6642)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 के आदेश सं. 5/10/2020-सीएस-1(यू) के संदर्भ में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में तदर्थ आधार पर शामिल किए जाने और उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जी, श्रीमती नम्रता कुमारी, अनुभाग अधिकारी (एसओएसएल 2012), सीएसएस, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 के पूर्वाह्न से वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (रु. 67,700-2,08,700) में तदर्थ आधार पर ग्रेड-1 (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं :—

2. 'तदर्थ' आधार पर अवर सचिव के रूप में उक्त अधिकारी की नियुक्ति/पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:

(i) तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के परिणाम के अध्यधीन रहेगी :

- (क) माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय से उत्पन्न एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिनांक 15/7/2011 को पारित आदेश और माननीय उच्चतम न्यायालय में टैग किए गए अन्य मामले।
- (ख) अखिल भारतीय समानता मंच और अन्य बनाम भारत संघ व अन्य द्वारा दायर की गई डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.8.2017 के निर्णय से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 31288/2017।
- (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12.11.2018 के निर्णय के विरुद्ध श्री एस.एन. जसरा एवं श्री राजकुमार के संबंध में एसएलपी सं. 5724-5725/2019।
- (घ) कोई अन्य न्यायालय संबंधी मामला।

(ii) तदर्थ पदोन्नति अधिकारी को अवर सचिव के ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या ग्रेड में नियमित पदोन्नति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने या ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(iii) तदर्थ पदोन्नति, प्रारंभ में 30.06.2021 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगी।

(iv) तदर्थ पदोन्नति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

खमचिन नाउलक, अवर सचिव

सं. ए.19013/01/2000-प्रशा.-I (6642)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.12.2020 के आदेश सं. 6/2/2020-सीएस-1(एस) के संदर्भ में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर शामिल किए जाने और उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जी, श्री मिथलेश सिंह, सहायक अनुभाग अधिकारी (एसओएसएल 2011), सीएसएस, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को दिनांक 28.12.2020 के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. 'तदर्थ' आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में उक्त अधिकारी की नियुक्ति/पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है :

(i) तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के परिणाम के अध्यधीन रहेगी :—

- (क) माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय से उत्पन्न एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिनांक 15/7/2011 को पारित आदेश और माननीय उच्चतम न्यायालय में टैग किए गए अन्य मामले।

(ख) अखिल भारतीय समानता मंच और अन्य बनाम भारत संघ व अन्य द्वारा दायर की गई डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.8.2017 के निर्णय से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 31288/2017।

(ग) कोई अन्य न्यायालय संबंधी मामला।

(ii) तदर्थ पदोन्नति अधिकारी को सीएसएस के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या ग्रेड में नियमित पदोन्नति नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने या ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने अथवा अगले उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अथवा एनएफएस प्रदान किए जाने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(iii) तदर्थ पदोन्नति, प्रारंभ में 30.06.2021 तक अथवा सेवानिवृत्ति अथवा नियमित आधार पर पद भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगी।

(iv) तदर्थ पदोन्नति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

खमचिन नाउलक, अवर सचिव

सं. ए.19013/01/2000-प्रशा.-I (6642)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1.1.2021 के आदेश सं. 1/3/2020-सीएस-IIए के संदर्भ में केन्द्रीय सचिवालय अशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड में 'तदर्थ आधार पर' शामिल किए जाने और उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जी, श्री सतीश कुमार, प्रधान निजी सचिव सीएसएसएस, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को दिनांक 1.1.2021 के पूर्वाह्न से 'तदर्थ आधार पर' वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. 'तदर्थ' आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में उक्त अधिकारी की नियुक्ति/पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:—

(i) तदर्थ पदोन्नति अधिकारी को वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या ग्रेड में नियमित पदोन्नति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने या ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(ii) तदर्थ पदोन्नति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

(iii) तदर्थ पदोन्नति, प्रारंभ में 30.06.2021 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगी।

खमचिन नाउलक, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी 2021

सं. ए-12025/01/2016-ईजी.—राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय में केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016 के अंतर्गत भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा के जूनियर टाइम स्केल अर्थात् रु.56,100-1,77,500/- वेतन लेवल-10 में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से नियुक्ति करते हैं:—

क्र.सं.	उम्मीदवारों का नाम (सर्वश्री)	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	आर श्याम	28.12.2015
2.	राहुल कुमार	16.05.2016
3.	कुशल कार्तिक एस	18.03.2016
4.	जितेन्द्र तिवारी	18.03.2016
5.	नंदा दुलाल दास	27.05.2016
6.	राकेश सी सज्जन	28.12.2015
7.	सुश्री ज्योति चौरसिया	13.05.2016
8.	सुश्री सुबरंजनी एस आर	18.03.2016
9.	मसरूर अहमद	04.01.2016
10.	राज कमल रंजन	28.12.2015

क्र.सं.	उम्मीदवारों का नाम (सर्वश्री)	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
11.	खंडारे अक्षय मोहन	28.12.2015
12.	के सुरजीत	28.12.2015
13.	विनोद सी	28.12.2015
14.	ए पवेनथन	28.12.2015
15.	सुनील कुमार शर्मा	28.12.2015

निर्मला देव, निदेशक (ईजी)

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
(दीपम)

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसंबर 2020

सं. 9/10/2020-प्रशासन—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.12.2020 के आदेश सं. 6/2/2020-सीएस1(एस) के अनुसरण में, राष्ट्रपति श्री सुलग्न साहा को दिनांक 24.12.2020 (अपराह्न) से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के नए वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 पर 47600-151100 के वेतनमान में निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) (समूह-ख राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति अदालती मामले के निष्कर्ष और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऊपर उल्लिखित आदेश के पैरा-4 (i) से (vii) में यथा- उल्लिखित शर्तों के अधीन है।

गुंजन कुमार, उप-निदेशक

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसंबर 2020

सं. ए-19011/5/2014-स्थापना—राष्ट्रपति, राष्ट्रपति केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के चयन ग्रेड (उप सचिव) अधिकारी श्री प्रेम प्रकाश को वेतन मैट्रिक्स स्तर -13 (1,23,100 रु.- 2,15,900 रु.) में वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) के पद पर रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग में 11.12.2020 की अपराह्न से तदर्थ आधार पर 31.12.2021 तक की अवधि या नियमित आधार पर पदों के भरने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. श्री प्रेम प्रकाश की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

i) तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित अदालती मामलों के फैसलों के अधीन रहेगी: -

(क) माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सीडब्ल्यूपी नंबर 13218/2009 में सुनाए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश से उत्पन्न एसएलपी (सी) नं. 30621/2011 और माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष टैग किए गए अन्य मामले।

(ख) भारत सरकार एवं अन्य बनाम ऑल इंडिया इक्वैलिटी फोरम एवं अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी(सी) नं. 3490/2010 में दिल्ली हाईकोर्ट के 23.08.2017 के निर्णय से उत्पन्न एसएलपी (सी) नं. 31288/2017

(ग) दिल्ली हाईकोर्ट के दिनांक 12.11.2018 के निर्णय के विरुद्ध एस.एन. जसरा और राज कुमार के संबंध में एसएलपी नं. 5724-5725/2019

(घ) अन्य संबंध कोर्ट केस।

(ii) तदर्थ पदोन्नति से श्री प्रेम प्रकाश को निदेशक के ग्रेड में अनिश्चित समय के लिए लगातार बने रहने अथवा इस ग्रेड की चयन सूची में नियमित पदोन्नति हेतु सम्मिलित किए जाने या ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(iii) सुश्री गरिमा सिंह एवं अन्य द्वारा दायर ओ.ए.सं. 3278/2010 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायधिकरण की मुख्य बेंच के दिनांक 09.05.2011 के आदेश और भारत सरकार एवं एएनआर. के विरुद्ध श्री रोहतास भानकर एवं अन्य द्वारा दायर 2004 की सीए नं. 6046-6047 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 15.07.2014 के निर्णयानुसार अवर सचिव और उप सचिव की चयन सूची तैयार करना।

(iv) तदर्थ पदोन्नति को किसी भी समय बिना इसका कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

टी.पी. एन. सिंह, अवर सचिव

उर्वरक विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 2020

सं. ए.32011/05/2020-स्था.—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.12.2020 के आदेश संख्या 4/5/2020-सीएस-1 (डी) के अनुसरण में राष्ट्रपति, इस विभाग की सुश्री गीता मिश्रा, अवर सचिव को उर्वरक विभाग में दिनांक 11.12.2020 (पूर्वाह्न) से 30.06.2021 तक की अवधि अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन पे मैट्रिक्स के स्तर 12 (78800-209200 रुपये) में "जहां हैं वहीं आधार पर" पूर्णतः तदर्थ आधार पर उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं:—

I. निम्नलिखित न्यायालयी मामलों के परिणाम:—

- क) माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में पारित दिनांक 15.07.2011 के अंतिम निर्णय तथा आदेश से उद्भूत एसएलपी (सी) सं. 30621/2011 तथा उससे जुड़े अन्य मामले।
- ख) ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम एवं अन्य बनाम यूओआई एवं अन्य के द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय से उद्भूत एसएलपी (सी) सं. 31288/2017
- ग) दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12.11.2018 के निर्णय के खिलाफ एसएन जासरा एवं राज कुमार के संबंध में एसएलपी सं. 5724-5725/2019
- घ) कोई अन्य संबंधित न्यायालयी मामला।
 - ii. तदर्थ पदोन्नतियां अधिकारियों को उप सचिव के ग्रेड में अनिश्चित काल के लिए बने रहने अथवा ग्रेड में नियमित पदोन्नति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेंगी।
 - iii. तदर्थ पदोन्नतियां प्रारंभ में 30.06.2021 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक रहेंगी।
 - iv. तदर्थ पदोन्नतियां बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं।

तिलक राज, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 2020

सं. ए-32012/1/2020-स्थापना—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.12.2020 के आदेश संख्या 6/2/2020-सी.एस.1(एस.) के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित सहायक अनुभाग अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स के स्तर-08 में दिनांक 24.12.2020 अपराह्न से दिनांक 30.06.2021 तक की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उपभोक्ता मामले विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

क्रम सं.	नाम (सुश्री/श्रीमती/श्री)	जन्म तिथि	एसएसओएसएल
1.	कुमार सुंदरम	01.03.1986	2011
2.	राकेश कुमार रौशन	06.10.1981	2011

2. तदर्थ पदोन्नति, न्यायालयी मामलों के परिणाम तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.12.2020 के आदेश संख्या 6/2/2020-सी.एस.1(एस.) में यथाउल्लिखित शर्तों के अध्यक्षीन है।

अनिल कुमार पाण्डेय, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 14 जनवरी 2021

सं. ए-32013/02/2019-एन.टी.एच.—भारत के राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर, श्री अजीत कुमार, वैज्ञानिक अधिकारी (फिजिकल-सिविल) को दिनांक 15.12.2020 से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (रु. 56,100—1, 77,500/-) में राष्ट्रीय परीक्षण शाला में वैज्ञानिक-बी (फिजिकल-सिविल) समूह "क" के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत करते हैं।

डी. के. सोनकर, उप निदेशक

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी 2021

सं. ईआरबी-1/2019/2/62—रेलवे बोर्ड के राजभाषा निदेशालय में निम्नलिखित सहायक निदेशक (राजभाषा) [(पूर्ववर्ती अनुभाग अधिकारी/(हिंदी)] को रेलवे बोर्ड के राजभाषा निदेशालय में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 में उप निदेशक (राजभाषा) के ग्रेड में उनके नाम के सामने दी गई तारीख से तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया है:—

नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
श्री अमरीक लाल	31.12.2020 (पूर्वाह्न)

सुशांत कुमार मिश्रा, सचिव

दिनांक 14 जनवरी 2021

सं. ईआरबी-1/2020/3/2—रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आरबीएसएस) के निम्नलिखित सहायक अनुभाग अधिकारियों (एएसओ) को पे मैट्रिक्स लेवल-8 [रु. 9,300 - रु.34,800 के पे बैंड-2 + ग्रेड पे रु. 4,800/- (संशोधन पूर्वी)] में रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आरबीएसएस) के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया है:—

क्र.सं.	नाम (सर्व/श्री/सुश्री)	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	यशवंत सिंह	23.09.2020 (पूर्वाह्न)
2.	नरोत्तम राँय	03.12.2020 ((पूर्वाह्न)
3.	अजय गोयल	07.12.2020 (पूर्वाह्न)
4.	राम केश रवि	31.12.2020 (अपराह्न)
5.	संजय कुमार	08.12.2020 ((पूर्वाह्न)
6.	जयंत कुमार साहू	31.12.2020 (अपराह्न)
7.	रघुनाथ यादव	01.01.2021 (पूर्वाह्न)
8.	राहुल कंसल	01.01.2021 (पूर्वाह्न)
9.	दीपक बी एम	01.01.2021 ((पूर्वाह्न)
10.	करण सिंह	01.01.2021 (पूर्वाह्न)
11.	विकास कुमार	01.01.2021 (पूर्वाह्न)
12.	मंदीप कुमार	01.01.2021 (पूर्वाह्न)
13.	गोविन्द कुमार	14.01.2021 (पूर्वाह्न)

सुशांत कुमार मिश्रा, सचिव

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली—110003, दिनांक 5 जनवरी 2021

सं. 49/66/2017—प्रशा.1—वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के आदेश संख्या 13016/1/2020—आईईएस दिनांक 01.01.2021 के अनुपालन में सुश्री सुतापा मजूमदार, आई ई एस (1987) ने दिनांक 01.01.2021 के पूर्वाह्न से वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

अरविंद पोखरियाल, अवर सचिव

दिनांक 14 जनवरी 2021

सं. 49/2/2021-प्रशासन-1—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 4/5/2020-सी.एस.-1(डी)(भा.1) दिनांक 08.01.2021 के द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में नियुक्ति के परिणामस्वरूप, श्री अमिताव साहा को इस मंत्रालय में उप सचिव के पद पर 14.01.2021 के पूर्वाह्न से पदस्थ किया जाता है।

अरविंद पोखरियाल, अवर सचिव

जल शक्ति मंत्रालय
(पेयजल एवं स्वच्छता विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 जनवरी 2021

सं. ए -19011/20/2019-प्रशासन—राष्ट्रपति, श्री जय प्रकाश नारायण सिंह को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में दिनांक 23.12.2020 के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालयी सेवा (सीएसएस) के अवर सचिव (वेतन मैट्रिक्स-11) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुधीर कुमार सिन्हा, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 29th December 2020

No. A-34011/3/16-Admn.—Shri J. G. Subramanian, Deputy Secretary to the President, has been appointed as 'Director to the President' with effect from the forenoon of 01.01.2021 vide Office Order dated 29.12.2020.

SHIVENDRA CHATURVEDI, Deputy Secretary

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 15th January 2021

No. I-18012/01/2021-IPS-I—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Police Service allocated to the Bihar Cadre, with effect from the date mentioned against each officer:—

S.N	NAMES OF THE OFFICERS (S/SHRI/Ms.)	DATE OF CONFIRMATION
01	Aamir Jawaid (SL-2016)	26.12.2019
02	Ashok Kumar Singh (SL-2016)	26.12.2019
03	Sanjay Kumar Singh (SL-2016)	26.12.2019
04	Rajeev Ranjan No.1 (SL-2016)	26.12.2019
05	Rakesh Kumar Sinha (SL-2016)	26.12.2019
06	Neeraj Kumar Singh (SL-2017)	26.12.2019
07	Sushant Kumar Saroj (SL-2017)	26.12.2019
08	Rajiv Ranjan No. 2 (SL-2017)	26.12.2019
09	Raman Kumar Chaudhary (SL-2017)	26.12.2019
10	Shailesh Kumar Sinha (SL-2017)	26.12.2019
11	Satyanarayan Kumar (SL-2017)	26.12.2019
12	Sushil Kumar (SL-2017)	26.12.2019
13	Vijay Prasad (SL-2017)	26.12.2019
14	Dilnawaz Ahmad (SL-2017)	26.12.2019

A.K.SARAN, Director (Police)

The 20th January 2021

No. I-18012/06/2020-IPS-I—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following member of the Indian Police Service allocated to the Madhya Pradesh Cadre in the Indian Police Service, with effect from the date indicated against his name:—

NAMES OF THE OFFICERS (S/SHRI/Ms.)	DATE OF CONFIRMATION
Om Prakash Tripathy (SL-2014)	23.09.2016

A.K. SARAN, Director(Police)

The 21st January 2021

No. I-18011/01/2021-IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President of India is pleased to confirm the following officers of the Indian Police Service borne on the cadre of Uttar Pradesh, in the Indian Police Service with effect from the dates mentioned against their names:—

SI No.	Name of the IPS Probationer	Date of confirmation in IPS
1.	Shri Love Kumar, IPS (UP: 2004)	06.09.2006
2.	Shri Satish Kumar , IPS (UP:2013)	03.09.2017

A.K. SARAN, Director (Police)

New Delhi-110001, the 14th December 2020

No.14016/02/2019-UTS.II—In partial modification to this Ministry's Notification of even number dated 22.10.2019, the Additional Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs, is pleased to appoint Shri Dinesh Kumar, Insp(Exec.) to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service (DANIPS) in the Pay Level Matrix – 08, on probation for a period of two years against the vacancy year 2019, with immediate effect and on notional basis w.e.f. 22.10.2019. The Details of Shri Dinesh Kumar are as under:—

Sl. No.	Name of the officer(S/Shri/Smt.)	Range No.	Date of Birth
1A.	Dinesh Kumar PIS: 16880095 DOE: 05.04.1988 DOP: 05.06.2006 CAT: SC	D-I/258	22.05.1962

2. On such appointment, his name will appear at serial number 1A, i.e. above his immediate junior Shri Ramesh Kumar Narang (Sl. No. 1) in MHA's Notification of even no. dated 22.10.2019.

3. The appointment of the above officer would be subject to outcome of OA NO. 440/2019 pending in Hon'ble CAT and outcome of the SLP (C) No. 31288/2017, connected to SLP to Appeal (C) No. 28306/2017 pending in the Hon'ble Supreme Court of India.

GOUTAM PALIT, Under Secretary

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
(DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES)

New Delhi-110001, the 22nd January 2021

No. A-19013/01/2000-Admin.I (6642)—Consequent on her inclusion in the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) on 'ad-hoc' basis in terms of DoPT's Order No. 5/10/2020-CS-I (U) dated 11th December, 2020 and on her assumption of charge, the President is pleased to appoint Smt. Namrata Kumari, Section Officer (SOSL 2012) of CSS in Department of Administrative Reforms & Public Grievances to the post of Grade-I (Under Secretary) on 'ad-hoc' basis in the Pay Matrix Level -11 (Rs.67,700 – 2,08,700) w.e.f. the forenoon of 21st December, 2020.

2. The appointment/promotion of the above officer as Under Secretary on 'ad-hoc' basis is subject to following conditions:

- (i) The ad-hoc promotion will remain subject to the outcome of the following Court Cases:
 - (a) The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of final Judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other tagged cases before the Hon'ble Supreme Court.
 - (b) The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court Judgment dated 23.08.2017 in WP(C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UOI & Ors.
 - (c) The SLP Nos. 5724-5725/2019 in respect of S.N. Jasra & Raj Kumar against Delhi High Court's Judgment dated 12.11.2018.
 - (d) Any other connected court matter.
- (ii) The ad-hoc promotions shall not confer any right on the officer to continue in the grade of Under Secretary indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.
- (iii) The ad-hoc promotions shall be initially for a period upto 30.06.2021 or until further orders, whichever is earlier.
- (iv) The ad-hoc promotion may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

KHAMCHIN NAULAK, Under Secretary

No. A-19013/01/2000-Admin.I (6642)—Consequent on his inclusion in the Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) on 'ad-hoc' basis in terms of DoP&T's Order No. 6/2/2020-CS I (S) dated 24.12.2020 and on his assumption of charge, the President is pleased to appoint Shri Mithlesh Singh, Assistant Section Officer (ASOSL 2011) of CSS in Department of Administrative Reforms & Public Grievances to the post of Section Officer on 'ad-hoc' basis w.e.f. the forenoon of 28.12.2020.

2. The appointment/promotion of the above officer as Section Officer on 'ad-hoc' basis is subject to following conditions:

- (i) The ad-hoc promotion will remain subject to the outcome of the following Court Cases:
 - (a) The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of final Judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court.
 - (b) The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court Judgment dated 23.08.2017 in WP(C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UOI & Ors and other related court cases in any competent court; and
 - (c) Any other connected court matter.
- (ii) The ad-hoc promotions shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointments or to claim seniority in the Section officers Grade of CSS or for promotion to the next higher grade or for grant of NFS.
- (iii) The period of adhoc promotion would be upto 30.06.2021 or date of superannuation or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.
- (iv) The ad-hoc promotion may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

KHAMCHIN NAULAK, Under Secretary

No. A-19013/01/2000-Admin.I (6642)—Consequent on his inclusion in the Grade of Senior Principal Private Secretary of Central Secretariat Stenographers' Service (CSSS) on 'ad-hoc' basis in terms of DoP&T's Order No. 1/3/2020-CS II A dated 01.01.2021 and on his assumption of charge, the President is pleased to appoint Shri Satish Kumar, Principal Private Secretary of CSSS in Department of Administrative Reforms & Public Grievances to the post of Senior Principal Private Secretary on 'ad-hoc' basis w.e.f. the forenoon of 01.01.2021.

2. The appointment/promotion of the above officer as Senior Principal Private Secretary on 'ad-hoc' basis is subject to following conditions:

- (i) The ad-hoc promotions shall not confer any right on the officers to continue in the grade of Senior Principal Private Secretary indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.
- (ii) The ad-hoc promotion may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The ad-hoc promotions shall be initially for a period upto 30.06.2021 or until further orders, whichever is earlier.

KHAMCHIN NAULAK, Under Secretary

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 5th January 2021

No. A-12025/01/2016-EG.—The President is pleased to appoint the following Officers in the Junior Time Scale of the Indian Audit & Accounts Service viz. Rs.56,100-1,77,500/- Pay Level-10 under the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016, in the O/o C&AG of India with effect from the date(s) mentioned against their name:—

S.No.	Name of the candidates (S/Shri)	Date of joining
1.	R Shyam	28.12.2015
2.	Rahul Kumar	16.05.2016

S.No.	Name of the candidates (S/Shri)	Date of joining
3.	Kushal Karthik S	18.03.2016
4.	Jitendra Tiwari	18.03.2016
5.	Nanda Dulal Das	27.05.2016
6.	Rakesh C Sajjan	28.12.2015
7.	Ms Jyoti Chaurasia	13.05.2016
8.	Ms Subaranjani S R	18.03.2016
9.	Masroor Ahmad	04.01.2016
10.	Raj Kamal Ranjan	28.12.2015
11.	Khandare Akshay Mohan	28.12.2015
12.	K Surjith	28.12.2015
13.	Vinod C	28.12.2015
14.	A Paventhan	28.12.2015
15.	Sunil Kumar Sharma	28.12.2015

NIRMALA DEV, Director (EG)

DEPARTMENT OF INVESTMENT & PUBLIC ASSET MANAGEMENT
(DIPAM)

New Delhi, the 29th December 2020

No. 9/10/2020-Admn—In terms of Department of Personnel & Training's Order No. 6/2/2020-CS1(S) dated 24.12.2020, the President of India is pleased to appoint Shri Sulagna Saha as Section Officer (ad hoc) (Group-B Gazetted) with effect from 24.12.2020 (AN) in the Department of Investment & Public Asset Management (DIPAM) in the 7th CPC's New Pay Matrix in the Pay Scale of Rs.47600-151100 at Level-8.

2. This ad hoc promotion is subject to the outcome of the court cases and conditions as mentioned in para-4 [(i) to (vii)] of the above mentioned order of Department of Personnel & Training.

GOONJAN KUMAR, Deputy Director

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 16th December 2020

No. A-19011/5/2014-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Prem Prakash, Selection Grade (Deputy Secretary) officer of the Central Secretariat Service (CSS) to the Sr. Selection Grade (Director) in the Pay Matrix Level-13 (Rs. 1,23,100-Rs. 2,15,900) in Department of Chemicals and Petrochemicals w.e.f. the afternoon of 11.12.2020, purely on 'ad-hoc' basis for a period upto 31.12.2021 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion of Shri Prem Prakash is subject to the following conditions:-

i) The ad hoc promotion will remain subject to the outcome of the following Court Cases:-

- The SLP (C) No.30621/2011 arising out of final judgement and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other tagged cases before the Hon'ble Supreme Court;
- The SLP (C) No.31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court Judgement dated 23.08.2017 in WP(C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UoI & Ors.
- The SLP Nos.5724-5725/2019 in respect of S.N. Jasra & Raj Kumar against Delhi High Court's judgement dated 12.11.2018.
- Any other connected court matter.

- (ii) The ad-hoc promotion shall not confer any right on Shri Prem Prakash to continue in the grade of Director indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.
- (iii) Finalization of US and DS Select Lists in consonance with the Central Administrative Tribunal, Principal Bench's order dated 09.05.2011 passed in O.A. No. 3278/2010 filed by Ms. Garima Singh & Ors and Hon'ble Supreme Court's judgment dated 15.07.2014 in CA No. 6046-6047 of 2004 filed by Shri Rohtas Bhanakar & Ors. vs UOI & Anr.
- (iv) The ad hoc promotions may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

T.P.N. SINGH, Under Secretary

DEPARTMENT OF FERTILIZERS

New Delhi, the 18th December 2020

No. A-32011/05/2020-Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 4/5/2020-CS-I (D) dated 11.12.2020, the President is pleased to appoint Ms. Geeta Mishra, Under Secretary in this Department as Deputy Secretary on purely ad-hoc basis on "as is where is basis" in Level 12 (Rs.78800-209200) of the pay matrix in the Department of Fertilizers w.e.f. 11.12.2020(AN) for a period upto 30.06.2021 or till the post is filled up on regular basis or until further order whichever is earlier subject to the following conditions:

- i. The outcome of the following Court Cases:
 - a) The SLP (C) no.30621/2011 arising out of final judgement and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other tagged cases before the Hon'ble Supreme Court;
 - b) The SLP (C) No.31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court Judgement dated 23.08.2017 in WP(C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UoI & Ors.
 - c) The SLP Nos.5724-5725/2019 in respect of S.N. Jasra & Raj Kumar against Delhi High Court's Judgement dated 12.11.2018.
 - d) Any other connected court matter
- ii. The ad hoc promotions shall not confer any right on the officers to continue in the grade of Deputy Secretary indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.
- iii. The ad hoc promotions shall be initially for a period upto 30.06.2021 or until further orders, whichever is earlier.
- iv. The adhoc promotions may be terminated at any point of time without giving any reason thereof.

TILAK RAJ, Under Secretary

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION (DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 30th December 2020

No. A-32012/1/2010-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 6/2/2020-CS.I(S) dated 24.12.2020, the President is pleased to appoint following Assistant Section Officers of CSS as Section Officers of CSS in the Level 8 of Pay Matrix in Department of Consumer Affairs w.e.f. the afternoon of 24.12.2020 on ad-hoc basis for a period upto 30.06.2021 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders whichever is earlier:—

S.No.	Name (S/Shri/Smt./Ms.)	Date of Birth	ASO SL
1.	Kumar Sundaram	01.03.1986	2011
2.	Rakesh Kumar Raushan	06.10.1981	2011

2. The ad-hoc promotion is subject to the outcome of the court cases and conditions mentioned in DoP&T Order No. 6/2/2020-CS.I(S) dated 24.12.2020.

ANIL KUMAR PANDEY, Under Secretary

New Delhi-110011, the 14th January 2021

No. A-32013/02/2019-NTH—On the recommendation of Union Public Service Commission, the President is pleased to promote Shri Ajeet Kuar, Scientific Officer (Physical-Civil) to the post of Scientist_B (Physical-Civil) Group "A" on regular basis in National Test House in the Level-10 (Rs. 56,100—77,500/-) of the Pay Matrix of 7th CPC with effect from 15.12.2020.

D.K. SONKER , Deputy Director

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 13th January 2021

No. ERB-I/2019/2/62—The following Assistant Director (OL) [erstwhile Section Officers/(Hindi)] in Official Language Directorate of Railway Board, has been promoted to the grade of Deputy Director (OL) in Level 11 in the Pay matrix in Official Language Directorate of Railway Board on ad-hoc basis with effect from the date indicated against his name:—

Name	Date of Joining
Shri Amrik Lal	31.12.2020(F.N.)

SUSHANT KUMAR MISHRA, Secretary

The 14th January 2021

No.ERB-I/2020/3/2—Following Assistant Section Officers (ASOs) of Railway Board Secretariat Service(RBSS) have been promoted to Section Officers' Grade of Railway Board Secretariat Service (RBSS), in the Pay Matrix Level-8 [PB-2 of Rs. 9,300-34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- (pre-revised)] on ad-hoc basis with effect from the date indicated against each:—

S.No.	Name (S/Shri/Ms.)	Date of Joining
1.	Yashwant Singh	23.09.2020 (F.N.)
2.	Narattam Roy	03.12.2020 (F.N.)
3.	Ajay Goyal	07.12.2020 (F.N.)
4.	Ram Kesh Ravi	31.12.2020 (A.N.)
5.	Sanjay Kumar	08.12.2020 (F.N.)
6.	Jayant Kumar Sahu	31.12.2020 (A.N.)
7.	Raghunath Yadav	01.01.2021 (F.N.)
8.	Rahul Kansal	01.01.2021 (F.N.)
9.	Deepak B M	01.01.2021 (F.N.)
10.	Karan Singh	01.01.2021 (F.N.)
11.	Vikas Kumar	01.01.2021 (F.N.)
12.	Mandeep Kumar	01.01.2021 (F.N.)
13.	Govind Kumar	14.01.2021 (F.N.)

SUSHANT KUMAR MISHRA, Secretary

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 5th January 2021

No. 49/66/2017-Admn.-I—In pursuance of Department of Economic Affairs, Ministry of Finance's Order No. 13016/1/2020-IES dated 01st January, 2021, Ms. Sutapa Majumdar, IES (1987) has assumed the charge of Senior Economic Adviser in the Ministry of New & Renewable Energy with effect from the forenoon of 01st January, 2021.

ARVIND POKHRIYAL, Under Secretary

The 14th January 2021

No. 49/2/2021-Admn.I—Consequent upon his posting to the Ministry of New and Renewable Energy vide Department of Personnel & Training's Order No. 4/5/2020-CS.I(D)(pt.1) dated 08th January, 2021, Sh. Amitava Saha, Deputy Secretary is taken on the strength of this Ministry with effect from the forenoon of 14th January, 2021.

ARVIND POKHRIYAL, Under Secretary

MINISTRY OF JAL SHAKTI
(DEPARTMENT OF DRINKING WATER & SANITATION)

New Delhi-110003, the 14th January 2021

No. A-19011/20/2019-Admin —The President is pleased to appoint Shri Jay Prakash Narayan Singh as Under Secretary (Pay Matrix Level -11) of Central Secretariat Service (CSS) in the Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti with effect from the forenoon of 23.12.2020 on adhoc basis.

SUDHIR KUMAR SINHA, Under Secretary